न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 23/2020

राकेश कुमार पुत्र हेमराज जाति ब्राह्मण निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल

.......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री दया कृष्ण धाकड

दायरा दिनांक: 03.03.2020

निर्णय दिनांक : 02.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या 40 खसरा नं0 107 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 108 रकबा 0.97 है0, खसरा नं0 82 रकबा 0.87 है0, खसरा नं0 84 रकबा 1.16 है0, खसरा नं0 85 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 86 रकबा 0.18 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.73 है0 वाके ग्राम रामपुरिया उर्फ फूलपुरिया तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी के पिता का नाम हेमराज के स्थान पर भैरूलाल दर्ज हो रहा है। जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम हेमराज पुत्र कल्याण है। जिसको वादी भैरूलाल पुत्र कल्याण के स्थान पर हेमराज पुत्र कल्याण दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में हेमराज पुत्र कल्याण दर्ज हो रहा है। इसलिए अपने पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में भैरूलाल पुत्र कल्याण के स्थान पर हेमराज पुत्र कल्याण दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम भैरूलाल पुत्र कल्याण के स्थान पर हेमराज पुत्र कल्याण दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 03.03.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक–राजस्व/2021/782 दिनांक 14.09.2021 के अनुसार भैरूलाल पुत्र कल्याण जाति ब्राह्मण को हेमराज पुत्र कल्याण जाति ब्राह्मण के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। दोनो नाम से उक्त व्यक्ति भैरूलाल पुत्र कल्याण जाति ब्राह्मण व हेमराज पुत्र कल्याण जाति ब्राह्मण एक ही व्यक्ति के नाम

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त व्यक्ति का नाम भैरूलाल पुत्र कल्याण जाति ब्राह्मण के स्थान पर हेमराज उर्फ भैरूलाल पुत्र कल्याण जाति ब्राह्मण सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं व प्रेमनारायण पुत्र बालकिशन जाति ब्राह्मण निवासी सीसवाली के आधार पर आराजी खाता संख्या 40 खसरा नं0 107 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 108 रकबा 0.97 है0, खसरा नं0 82 रकबा 0.87 है0, खसरा नं0 84 रकबा 1.16 है0, खसरा नं0 85 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 86 रकबा 0.18 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.73 है0 वाके ग्राम रामपुरिया उर्फ फूलपुरिया तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी के पिता का नाम भैरूलाल पुत्र कल्याण जाति ब्राह्मण के स्थान पर हेमराज उर्फ भैरूलाल पुत्र कल्याण जाति ब्राह्मण दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पिता के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प उदपुरिया मजमेंआम में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner